नकदी आवागमन विवरण

Cash Flow Statement

2015-16

नकदी आवागमन विवरण
CASH FLOW STATEMENT

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016	31.03.2015 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2015
क. प्रचालनीय गतिविधियों से नकदी आवागमन A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर पूर्व निवल अधिशेष / NET SURPLUS BEFORE TAX	**1,164.47**	**842.42**
के लिए समायोजन / ADJUSTMENTS FOR		
पूर्व अवधि सहित मूल्यह्रास / DEPRECIATION INCL- PRIOR PERIOD	67.97	71.49
शेडों का परिशोधन / AMORTISATION OF SHEDS	1.82	1.82
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि PROFIT/LOSS ON SALE OF ASSETS	(0.01)	(2.44)
ब्याज/लाभांश आय / INTEREST/DIVIDEND INCOME	(295.04)	(292.30)
ब्याज व्यय / INTEREST EXPENDITURE	2.89	2.67
असाधारण मद / EXTRA-ORDINARY ITEM	(72.85)	
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालनीय लाभ OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	**869.24**	**623.65**
कार्यशील पूंजी समायोजन WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS		
विविध देनदार / SUNDRY DEBTORS	(44.17)	(63.10)
वस्तुसूचियाँ / INVENTORIES	0.91	(1.18)
अग्रिम/नामे शेष / ADVANCES/DEBIT BALANCES	(522.16)	(276.63)
लेनदार और देय / CREDITORS & PAYBLE	(23.52)	60.50
कुल कार्यशील पूंजी समायोजन TOTAL WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS	**(588.94)**	**(280.41)**
प्रचालनीय गतिविधियों से निवल नकदी आवागमन – क NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES – A	**280.30**	**343.24**

नकदी आवागमन विवरण
CASH FLOW STATEMENT

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016	31.03.2015 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2015
ख. निवेशीय गतिविधियों से नकदी आवागमन **B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
नियत परिसम्पत्तियों (निवल) की खरीद/बिक्री PURCHASE/SALE OF FIXED ASSETS(NET)	(257.41)	(175.22)
प्राप्त ब्याज/लाभांश / INTEREST/DIVIDEND RECEIVED	289.07	275.41
निवेशों में परिवर्तन / CHANGE IN INVESTMENTS	(15.30)	(3.00)
निवेशीय गतिविधियों से कुल नकदी आवागमन – ख TOTAL CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES – B	**16.36**	**97.20**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी आवागमन **C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
बैंको से ऋण / LOAN FROM BANK	–	–
ऋणों का पुनर्भुगतान / REPAYMENT OF LOANS	–	–
ऋणों पर ब्याज / INTEREST ON LOANS	(2.89)	(2.67)
वित्तीय गतिविधियों से कुल नकदी का आवागमन – ग TOTAL CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES – C	**(2.89)**	**(2.67)**
घ. नकदी और बैंक शेष (क+ख+ग) में वृद्धि/(कमी) **D. INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND BANK BALANCES(A+B+C)**	**293.77**	**437.77**
न. सावधि जमा रसीदों सहित कैश एवं बैंक का आरंभिक शेष **E. OPENING CASH AND BANK BALANCES INCL - TDRs**	**3,121.22**	**2,683.45**
सावधि जमा रसीदों सहित कैश एवं बैंक का अंत शेष CLOSING CASH AND BANK BALANCES INCL - TDRs	**3,414.99**	**3,121.22**
वृद्धि/(कमी) **INCREASE/(DECREASE)**	**293.77**	**437.77**

यह पृष्ठ जान–बूझकर खाली छोड़ा गया है।
This page is kept intentionally blank.

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

Significant Accounting Policies

2015-16

अनुसूची - 24 / SCHEDULE –24

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. राजस्व मान्यता :

पत्तन की आय के मुख्य स्रोतों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है :

क) जलयान संबंधित प्रभार, जिसमें मुख्य रूप से पाइलटेज, पत्तन देय और घाट किराया प्रभार शामिल हैं,

ख) कार्गो संबंधित प्रभार, जिसमें मुख्य रूप से कंटेनर और बल्क दोनों के लिए प्रहस्तन प्रभार और घाट शुल्क शामिल हैं,

ग) कंटेनर और बल्क दोनों प्रकार के कार्गो पर विराम समय प्रभार,

घ) भूमि और इमारतों के लिए सम्पदा संबंधी प्रभार, यथा – किराया, जल और विद्युत,

च) निवेशों पर ब्याजध्लाभांश आय,

छ) बी.ओ.टी. परियोजनाओं एवं न्यूनतम निश्चित व्यवसाय से प्राप्त रॉयल्टीध्राजस्व,

ज) बी ओ टी प्रचालकों को दी गई सेवाएँ ।

उपर्युक्त (क) एवं (ख) – जलयान संबंधी प्रभार और कार्गो संबंधी प्रभारों को सेवा पूरी तरह देने के बाद तत्काल शामिल किया जाता है । जलयान और संबंधित कार्गो के मामले में, यदि सेवा लेखाकरण अवधि के अंत तक पूरी नहीं होती है तो राजस्व को अगली लेखाकरण अवधि में लिया जाता है । यह पूरी सेवा ठेका विधि लेखाकरण मानक–9 (राजस्व मान्यता) के अनुसार है। बिंदु (ग) पर दर्शाए गए विराम समय प्रभार कार्गो के पत्तन से जाने के बाद निशुल्क अवधि निकालकर कार्गो के पत्तन परिसर में रहने की अवधि के लिए प्रभारित किए जाते हैं । विराम समय प्रभार दिन प्रति दिन प्रोद्भूत नहीं होते हैं ।

सम्पदा संबंधी प्रभारों के मामले में किराए हर महीने या उसके बाद देय हैं। इसलिए, किराए की आय महीने के आरंभ में ही लेखे में शामिल कर ली जाती है। जल प्रभारों के मामले में, जहाँ प्रभार निश्चित हैं, वहाँ महीने के आरंभ में और जहाँ मीटर रीडिंग के आधार पर खपत का निर्धारण किया जाता है, वहाँ राजस्व को आने वाले महीने की बिलिंग में लिया जाता है। विद्युत प्रभारों के मामले में, बिलिंग के आधार पर आय अगले महीने लेखे में ली जाती है।

बंधपत्र, सावधि जमा के ब्याज को उपार्जन आधार पर लेखे में लिया जाता है।

बीओटी प्रचालकों के वास्तविक निष्पादन और न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय पर बीओटी परियोजना से प्राप्त होने वाली रॉयल्टीध्राजस्व को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया जाता है टैंक फार्म के न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय सम्बंधी अर्थदण्ड को वित्तीय वर्ष 2005–06 तक संबंधित टैंक फार्म प्रचालकों की पट्टे

1. Revenue Recognition

The Port's major sources of income are classified as follows:

a) Vessel Related Charges consisting mainly of Pilotage, Port dues and berth hire charges,

b) Cargo related charges consisting mainly of handling charges and wharfage charges for both Container and Bulk,

c) Dwell time charges on cargo both Container and Bulk,

d) Estate Related Charges for land and buildings, namely, Rent, Water and Electricity,

e) Interest/Dividend Income on investments,

f) Royalty/Revenue sharing from BOT Projects & MGT.

g) Services rendered to BOT operators.

Vessel Related Charges and Cargo Related Charges at (a) & (b) above are recognized immediately on completion of the services to be rendered. For vessels and related cargo, where the service is not completed at the end of the accounting period, the revenue is recognized in the next accounting period. This is as per the completed service contract method under AS-9 (Revenue Recognition). Dwell time income at (c) is recognized only when the cargo departs from the Port premises, for the period the cargo was in the Port, after reducing any free period applicable. Dwell time charges are not accrued on day to day basis.

For Estate Related Charges, rents are payable per month or part thereof. Therefore, rental income is recognized in the beginning of the month. In the case of water charges, where the charge is fixed the income is recognized in the beginning of the month and where the consumption is dependent on the meter reading, revenue is recognized on the billing done in the subsequent month. In the case of electricity, income is recognized on billing i.e. in the subsequent month.

Interest on Bonds, Fixed Deposits is recognized on accrual basis.

Royalty/Revenue sharing from BOT projects are recognized on accrual basis, on the BOT operators' actual performance and Minimum Guaranteed Throughput. MGT penalty for tank

की अवधि की वार्षिक तारीखों पर प्रोद्भवन आधार पर लेखित किया गया है। वित्त वर्ष 2006–07 के दौरान टैंक फार्म प्रचालकों के न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय में कमी होने पर घाट शुल्क के बिल न उगाहने का निर्णय लिया गया क्योंकि इस आय में अनिश्चितता बनी रहती है और साथ ही यह पूरा मामला विवाचन के लिए भेजा गया था । किन्तु, वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय एक संविदागत बाध्यता भी है तथा उनके बिलों को न वसूला जाना बाद में हमारे दावे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, वर्ष 2006–07 से पूर्वव्यापी प्रभाव से बिल वसूलने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार, 2008–09 तक के बिल उगाहे गए हैं। अन्य प्रचालकों से भी ठेका दायित्व के अनुसार न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय दण्ड उपार्जित आधार पर लेखे में लिया गया है। लेखाकरण नीति सं. 12 भी देखिए ।

संरक्षी और सावधान रहने की आवश्यकता को देखते हुए कर्मचारियों के अग्रिमों और उन पर ब्याज सहित सभी प्रकार की आय को नकद रूप से लेखे में लिया गया है।

2. नियत परिसम्पत्तियाँ

क) वास्तविक लागत, जिसमें निर्माण लागत, आयात कर सहित क्रय मूल्य, अन्य कर और परिसम्पत्तियों को उनके अभीष्ट रूप से प्रयोग करने के लिए चालू हालत में लाने की प्रत्यक्ष आरोप्य लागत भी है, को बहियों में ऐतिहासिक मूल्य पर दर्ज किया गया है ।

निर्माण की अवधि में पूंजीकृत परिसम्पत्तियों के मामले में आरंभ होने की तिथि अर्थात 26 मई, 1989 तक ऋणों पर प्रोद्भूत हुए ब्याज को भी पूंजीकृत किया गया है । परियोजना के आरंभ की तिथि तक सभी प्रकार के व्यय पूंजीकृत किए गए हैं ।

ख) प्रशासन और अन्य सामान्य उपरिव्यय जब तक परियोजना/परिसम्पत्तियों पर विशिष्ट रूप से आरोप्य और सीधे सम्बंधित न हों, तब तक नियत परिसम्पत्तियों की लागत से अलग रखे गए हैं ।

ग) नियत परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ/(हानि) को लाभ और हानि लेखे में लेखित किया जाता है ।

घ) पट्टे की परिसम्पत्तियां : भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखाकरण मानक–19 के अनुसार दि. 1.4.2001 को या उसके बाद आरंभ होने वाली लेखाकरण अवधि के दौरान वित्तीय पट्टे के अधीन पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों को पूंजीकृत किया जाना चाहिए। जनेप न्यास में वित्तीय पट्टे की तरह की कुछ पट्टा परिसम्पत्तियाँ हैं जिन्हें 1995 और 1997 में पट्टे पर लिया गया था। इसलिए वे मानक की परिधि में नहीं आती थीं और पट्टे के भुगतान लाभ एवं हानि/राजस्व लेखे में दर्ज किए जाते थे । पट्टे की अवधि की समाप्ति पर भविष्य के पूंजीकृत व्यय पर नियंत्रण रखने एवं उनकी पहचान करने के लिए इन परिसम्पत्तियों को रु. 1/– के प्रतीक मूल्य पर लेखाबही में

farms is recognized on accrual basis based on anniversary dates of the lease period of respective tank farm operators up to financial year 2005-06. During financial year 2006-07, a decision had been taken not to raise bills in respect of wharfage on shortfall in Minimum Guaranteed Throughput of tank farm operators keeping in view the uncertainty associated with such an income and the fact that entire matter has been referred to arbitration. However, during financial year 2008-09 keeping in view the fact that MGT is also a contractual obligation and non raising of bills may effect our claim at a later date, a decision was taken to raise bills retrospectively from 2006-07 onwards. Accordingly bills upto 2008-09 have also been raised. MGT penalty for other operators is also recognized on accrual basis as per contractual obligation. Also refer accounting policy no. 12.

All other income including interest on employee advances are recognized on cash basis in keeping with need to be conservative and prudent.

2. Fixed Assets

a) Fixed assets are stated in the books at historical value, based on actual cost consisting of construction cost, purchase price including import duties, other taxes and directly attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use.

In the case of assets capitalized during the period of construction, interest accrued on loans till the date of commissioning i.e. 26th May 1989 has also been capitalized. All expenses upto Date of Commissioning of the project have been capitalized.

b) Administration and other general overhead expenses, unless they are specifically attributable and directly identifiable with the project/assets, are excluded from the cost of fixed assets.

c) Profit/(Loss) on sale/disposal of Fixed assets are accounted for in the Profit and Loss Account.

d) Leased Assets- As per AS-19 of the ICAI, assets leased under a financial lease during accounting periods commencing on or after 1.4.2001, should be capitalized. JNPT had certain leased assets, in the nature of Financial Lease, leased in 1995 and 1997. Therefore, they were not covered by the standard and the lease payments were charged to the Profit and Loss/Revenue Account. Upon expiry of lease period these assets have been capitalized in our books of accounts for a token sum of Re.1 each to have control and identifying

पूंजीकृत किया गया है। पट्टे की अवधि क्योंकि अगस्त, 2007 में समाप्त हो चुकी है, इसलिए भविष्य के पट्टे के भुगतानों को लेखों पर की गई टिप्पणियों में नहीं दिखाया गया है ।

नियत परिसम्पत्तियों को बट्टे खाते डालना : नियत परिसम्पत्तियों को महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 के खंड 96 (क) और बट्टे खाते डालने की शक्तियों के प्रत्यायोजन के अधीन आवश्यक उचित प्राधिकार मिलने पर ही बट्टे खाते में डाला जाता है । परिसम्पत्तियों की बिक्री पर होने वाली हानि का प्रावधान किया गया है ।

3. मूल्यह्रास

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास सरकार द्वारा जारी निदेशों/अनुदेशों/परिपत्रों/मार्गदर्शी निर्देशों में दी गई परिसम्पत्तियों की आर्थिक आयु के आधार पर सीधे–सीधे लगाया जाता है ।

वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास निम्नलिखित रूप से किया गया है :–

प्रयोग में लाई गई परिसम्पत्तियाँ

1.	30 दिनों से कम	:	शून्य
2.	30 दिनों से अधिक पर 180 दिनों तक	:	आधा (50%)
3.	180 दिनों से अधिक	:	पूरा मूल्यह्रास (100%)

क्रय वर्ष में रु. 1,00,000/– से कम लागत की वैयक्तिक परिसम्पत्तियों को राजस्व व्यय के रूप में पूरी तरह प्रभारित किया जाता है। किन्तु ऐसी परिसम्पत्तितयों के मामले में, यदि उनके समूह का मूल्य रु. 1,00,000/– से अधिक हो तो पूरे समूह को एक मद के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। यदि ऐसी मद पूँजी व्यय द्वारा प्राप्त की गई हों तो उन्हें एक मद के रूप में पूंजीकृत किया जाता है चाहे उनका मूल्य रु. 1,00,000/– से कम क्यों न हो। ऐसी प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है ताकि यदि भविष्य में परिसम्पत्तियों को प्रतिस्थापित किया जाए तो उन पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके ।

4 निवेश

पत्तन के निवेश मुख्यतया निम्नलिखित हैं :–

क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बंधपत्र,
ख) विशेष उद्देश्य कम्पनी में इक्विटीध्अधीनस्थ ऋण,
ग) बैंकों में सावधि जमा ।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बंधपत्रों में निवेश समान मूल्य पर किया गया है जो सामान्यतया दीर्घ अवधि निवेश है और मियाद पूरी होने पर मूल्य के समकक्ष भुनाए जाने के लिए है । इसलिए उनका मूल्यांकन लागत के समकक्ष होगा (मूल्य समकक्ष) ।

future capital expenditure. Since the lease period has expired in Aug'07, future lease payments are not indicated in the notes to Account.

Write-off of Fixed Assets- Fixed assets are written off only after proper authorization as required under clause 96A of the Major Port Trusts Act and the Delegation of Powers for write-off of assets. Provision is made for loss on sale of Assets.

3. Depreciation

Depreciation of fixed assets is provided on straight-line basis based on the economic life of assets given in the directives/circulars/ guidelines issued by the Government.

Assets capitalized during the year are depreciated as follows:

Assets put to use

1.	upto 30 days	-	Nil
2.	Above 30 days & upto 180 days	-	Half (50%)
3.	Above 180 days	-	Full depreciation (100%)

Individual assets costing less than Rs.1,00,000/- are fully charged to revenue expenditure in the year of purchase. However, in case of such assets if the lot size is more than Rs.1,00,000/- then the lot is capitalized as a single item. If such items have been acquired by incurring capital expenditure the same are capitalised as a single item even if the value is below Rs.1,00,000/-. Such practise is followed in order to have better control when the assets are replaced in future.

4. Investments

The Port's investments broadly consist of the following:-

a) PSU Bonds,

b) Equity/Sub-ordinate loan in SPV,

c) Fixed Deposits with Bank.

The investment in PSU Bonds have been made at par and generally in the nature of long term investments to be redeemed on maturity at par value. Therefore, they are valued at cost (par value).

5. Retirement Benefits

a) Pension, Gratuity and leave encashment liability to employees are provided for on accrual basis based on

5. निवृत्ति लाभ

क) कर्मचारियों को पेंशन, उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण के देय लाभों को तीन वर्ष में एक बार किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रोद्भूत रूप से किया जाता है। निवृत्ति निधि और उपदान निधि में अंशदान इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सृजित निधियों में किया जाता है। निधियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। छुट्टी नकदीकरण देयता का प्रावधान भी 31 मार्च, 2004 से किया गया है एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित छुट्टी नकदीकरण निधि में वार्षिक योगदान किया जाता है ।

ख) किया जाने वाला वार्षिक योगदान उस वित्तीय वर्ष में संवितरित राशि से कम नहीं होना चाहिए ।

ग) सभी तीनों अधिवर्षिता निधियों की देयता का नवीनतम बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक निधि में किए गए निवेश की राशि तथा यदि कोई कमी हो तो उसे पत्तन के वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा ।

घ) अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है ।

च) सामान्य भविष्य निधि के सदस्यों से भविष्य निधि के लिए वसूली गई राशियों को इसके लिए बनाए गए भविष्य निधि न्यास में स्थानांतरित कर दिया जाता है ।

6. निवेश पर ब्याज

वर्ष 2002–03 तक, निवेश पर कमाया गया ब्याज राजस्व खाते में जमा किया जाता था। लेखा परीक्षा के जोर देने एवं बिलिमोरिया रिपोर्ट की अपेक्षाओं के अनुसार, निम्नलिखित आरक्षित निधियों के निवेशों पर अर्जित ब्याज को वित्तीय वर्ष 2003–04 से सीधे आरक्षित निधियों में जमा किया गया :

क) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास, और आधुनिकीकरण के लिए आरक्षित निधि,

ख) विकास, ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय के लिए आरक्षित निधि ।

यह लेखाकरण नीतियों में एक बदलाव था एवं इसका प्रभाव वर्ष 2003–04 के लेखों पर की गई टिप्पणियों में प्रकट हुआ है।

पत्तन बिलिमोरिया रिपोर्ट द्वारा निर्धारित पद्धति से सहमत नहीं था इसलिए भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति की सलाह ली गई । विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति ने कहा कि पत्तन द्वारा पूर्व में अपनाई जा रही पद्धति सही है। इसलिए मुख्य महालेखा परीक्षक के अनुमोदन से पत्तन इन दो निधियों के ब्याज को राजस्व लेखों में जमा कर रहा है एवं पूर्व की पद्धति के अनुसार लाभ–रेखा से नीचे विनियोग कर रहा है।

actuarial valuation done once in three years. Contributions are made to Pension Fund and Gratuity Fund created in Trusts set up for this purpose and the funds are managed by LIC of India. The leave encashment liability has also been provided for w.e.f. 31st March'2004 and annual contributions are being made to the Leave Encashment fund managed by LIC of India.

b) Annual contribution to be made shall not be less than the amount of disbursement made in that financial year.

c) The latest acturial valuation of liability of all the three superannuation funds, the amount of investments held by each of this fund and the shortfall if any shall be disclosed in the Notes on Accounts to the financial statements of the Port

d) Employers contribution to Contributory Provident Fund are charged to the Profit & Loss Account.

e) The amounts recovered from the members of General Provident Fund towards Provident Fund are transferred to Provident Fund Trust formed for this purpose.

6. Interest on Investments

Until the year 2002-03, interest earned on investment was credited to Revenue Account. At the insistence of audit, and as per the requirements of the Billimoria Report, the interest earned on investments pertaining to the following reserves was credited directly to the reserves in financial year 2003-04.

a) Reserve for replacement, rehabilitation and modernization of capital assets.

b) Reserve for development, repayment of loans and contingencies.

This was a change in accounting policy, and the impact is disclosed in the Notes on Accounts for the year 2003-04.

The Port was not in agreement with the method prescribed by the Billimoria Report and therefore sought the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India. Expert Advisory Committee opined that the earlier practice followed by Port is correct. Therefore, with the approval of CAG, the Port is crediting the interest on these two funds to revenue accounts then making appropriation below the line as per earlier practice.

7. वस्तुसूचियाँ

वस्तुसूचियों में मुख्यतया अनुरक्षण पुर्जे, औजार और उपभोग होने वाली वस्तुएं हैं और उनका मूल्य औसत भार पद्धति पर नियत होता है। वित्तीय वर्ष 2007–08 से उप–भंडार की वस्तुसूचियों का वर्ष के अंत में आकलन करके उन्हें उपभोग से हटा लिया गया और तदनुसार लेखों में दिखाया गया है ।

8. उधार लागत

उधार लागत जो सीधे ही परिसम्पत्तियों के अर्जन और संरचना के लिए होती है, परिसम्पत्ति के प्रवर्तित होने की तिथि को पूंजीकृत की जाती है। पूंजीकरण के बाद ऋणों पर ब्याज उपार्जित आधार पर राजस्व में प्रभारित होती है ।

9. विदेशी मुद्रा का लेन – देन

कलपुर्जों और बड़े उपस्करों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा लेन–देन को लेन–देन की तिथि को लागू विनिमय दर के अनुसार दर्ज किया जाता है। आज तक पत्तन के ऊपर कलपुर्जोंध्पूंजी उपस्करों के आयात करने का कोई विदेशी मुद्रा ऋण नहीं है, और न इस संबंध में उसने कोई ठेका दिया है। जब भी कभी ऐसी कोई स्थिति आएगी, तो संबंधित लेखाकरण मानकों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्धारित की जाएगी।

तथापि, पत्तन को जलयान संबंधी प्रभारों एवं कंटेनरों के विराम समय प्रभारों के रूप में कुछ आमदनियाँ होती हैं, जिनकी गणना अमेरिकी डॉलर में की जाती है लेकिन उसे जलयान के पत्तन में प्रवेश की तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर रुपयों में प्राप्त किया जाता है। निर्यात कंटेनरों के लिए विनिमय दर पत्तन क्षेत्र में कंटेनरों के आगमन की तिथि को मौजूदा दर के अनुसार होगी।

10. बीमा सुरक्षा – विस्तृत पत्तन पैकेज नीति :

पत्तन ने पॉलिसी के रूप में निम्नलिखित जोखिमों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विस्तृत बीमा सुरक्षा कराई है :

1. भूकम्प जोखिम के विस्तार के साथ मानक अग्निो एवं विशेष जोखिम पॉलिसी (पत्तन प्रचालन क्षेत्र एवं नगरक्षेत्र से बाहर स्थापित परिसम्पत्तियों के लिए)
2. विस्तृत पत्तन पैकेज – सम्पत्ति
3. विस्तृत पत्तन पैकेज – देयता
4. विस्तृत पत्तन पैकेज – व्यापार व्यवधान (एफएलओपी/एमएलओपी/पत्तन कामकाज में बाधा/मलबे का निष्कासन)
5. समुद्री पेटा – प्लवन नौकाएँ
6. निष्ठा गारंटी बीमा
7. इलेक्ट्रानिक उपकरण बीमा

7. Inventories

Inventories mainly consist of maintenance spares, tools and consumables and are valued at cost determined on weighted average method. With effect from F.Y. 2007-08 Inventories lying at sub-stores at the end of the year have also been valued and reduced from consumption and accordingly reflected in the Accounts.

8. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, constructions of assets are capitalized till the date on which the asset is commissioned. Interest on loans after capitalization is charged to Revenue on accrual basis.

9. Foreign Currency Transactions

Foreign currency transactions for import of spares and capital equipment are recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transaction. Till date the Port does not have any loans in foreign currency for import of spares/ capital equipment, nor has it entered into any forward contracts. As and when such a situation arises, the policy will be framed keeping in view the relevant accounting standards.

However, the Port has certain incomes like vessel related charges and dwell time charges on container which are denominated in US$, but collected in Indian Rupees using the reference rate of RBI as on date of entry of vessel into Port. For export containers, the exchange rate shall be as on the date of arrival of containers in the Port premises.

10. Insurance Cover – Comprehensive Port Package Policy

The Port as a matter of policy has taken the comprehensive insurance for the covering the following risks:

1. Standard Fire & Special Perils Policy with Earthquake extension (for assets outside Port operational area and township).
2. Comprehensive Port Package – Property
3. Comprehensive Port Package - Liability
4. Comprehensive Port Package – Business Interruption (FLOP/MLOP/Port Blockage, Wreck removal)
5. Marine Hull – Floating Crafts
6. Fidelity Guarantee Policy

8. निदेशक तथा अधिकारी दायित्व पालिसी

9. आतंकवाद से विशेष सुरक्षा

11. आय पर करों का लेखाकरण (लेखाकरण मानक– 22)

पत्तन ने वित्तीय विवरण में लेखाकरण मानक–22 को अपनाया है जो कि अब अनिवार्य हो चुका है। इसके परिणामस्वरूप तुलन–पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे में आस्थगित कराधान को सम्मिलित किया गया है। तदनुसार, समय में अन्तर – मुख्य रूप से मूल्यह्रास एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43(ख) के तहत आने वाली मदों के परिणामस्वरूप होने वाली आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं, प्रभारों एवं क्रेडिटों को लेखों में मान्यता दी गई है ।

12. विवादित आय के संबंध में लेखाकरण नीतियों में वित्तीय वर्ष 2010–11 से प्रभावी परिवर्तन

मंडल की 29 मार्च, 2011 को हुई 13 वीं बैठक में लिए गए निर्णय का संदर्भ लें, जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया है :

"नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के संबंध में उठाई गई आपत्तियों से निपटने तथा वित्तीय विवरणों की अधिक सटीक तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण को पेश करने, 'कमी एवं व्यवसाय पर अर्थदण्ड' से जनेप न्यास को होने वाली आय के लिए लेखाकरण की नीति में परिवर्तन को अनुमोदन देने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 9 की अपेक्षाओं तथा पोत परिवहन मंत्रालय के अनुदेश के अनुपालन में संकल्प किया जाता है कि 'बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज' तथा 'जनेप न्यास की अन्य किसी प्रकार की आय' जो संबंधित पत्तन उपभोक्ताओं द्वारा विवादित है, ऐसी विवादित आय को उस वित्तीय वर्ष में मान्यता दी जाएगी जिस वर्ष अंतिम वसूली की संभावना अविवेकपूर्ण नहीं होगी।

आगे यह संकल्प भी किया जाता है कि यह परिवर्तन वित्तीय वर्ष 2010–11 से प्रभावी होगा।"

उपर्युक्त के अनुपालन में, वर्ष 2015–16 की न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय की आय को वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखाकरण नीति में बदलाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2015–16 की आय/लाभ रु. 10.52 करोड़ कम है।

7. Electronic Equipment Insurance

8. Directors and Officers Liability Policy

9. Standalone terrorism cover

11. Accounting for Taxes on Income AS - 22

The Port has adopted AS-22 in the Financial Statement, which has become mandatory. This has resulted in the Balance Sheet and Profit and Loss Account to include Deferred Taxation. Accordingly, timing differences mainly on account of depreciation and items covered under Sec.43 (B) of the Income Tax Act, 1961 resulting in Deferred Tax Assets and liabilities, charges and credits have been recognized in the accounts.

12. Change in accounting policy effective from FY 2010-11 in respect of disputed income

Reference is invited to the decision taken in the 13th Board Meeting held on 29th March 2011 wherein following resolution was passed.

"RESOLVED in compliance with the requirements of Accounting Standard 9 issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Instruction of the Ministry of Shipping and Transport, to address the audit objections raised by C&AG and to present a more appropriate preparation and presentation of the financial statements, to approve the change in the policy of accounting for the income arising to JNPT from "Penalty for Shortfall and Throughput". "Penal interest on outstanding dues" and "any other income of JNPT" which are disputed by the concerned Port users, to the effect that such disputed income shall be recognised in the financial year in which it is not unreasonable to expect the ultimate collection.

Resolved further that this change shall be effective from the financial year 2010-11".

In compliance with the above, MGT income for the year 2015-16 has not been recognised in the financial statements. As a result of change in the accounting policy, income/profit for the year 2015-16 is lower by Rs. 10.52 Crs.

यह पृष्ठ जान–बूझकर खाली छोड़ा गया है।
This page is kept intentionally blank.